

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 53/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. भगवतीलाल पिता रामा रेगर
2. तारा पुत्री रामा रेगर
3. रेखा पुत्री रामा रेगर
4. मांगी बेवा रामा रेगर
5. विमला पुत्री रामा रेगर
6. उषा पुत्री रामा रेगर
7. नाराण पिता कासुडा रेगर
निवासी भूणास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. नाथु पिता खेमा रेगर
2. हरलाल पिता खेमा रेगर
3. गंगा पुत्री दौला रेगर
4. अणछी पुत्री दौला रेगर
5. केला पिता होकमा रेगर
6. जवाहरमल पिता गोपीलाल रेगर
7. जेठमल पिता गोपीलाल रेगर
8. रामेश्वर पिता मगनीराम रेगर
9. मुकेश पिता मगनीराम रेगर
10. जगदीश पिता मगनीराम रेगर
11. ओमप्रकाश पिता मगनीराम रेगर
12. प्रेमी बेवा मगनीराम रेगर
13. शंकरलाल पिता धन्ना रेगर
14. नानी पुत्री धन्ना रेगर
15. सुरेश पिता मोहन रेगर
16. रामचन्द्र पिता मोहन रेगर
17. पुष्पा पुत्री मोहन रेगर
18. प्रेमचन्द्र पिता मोहन रेगर
19. सोहनी पत्नि नाथु रेगर
20. प्यारा पिता उमा रेगर
21. किशन पिता गणेश रेगर
22. भंवर पिता गणेश रेगर
23. सीता पुत्री गणेश रेगर
24. गोमी बेवा गणेश रेगर
25. मोती पिता जेराम रेगर
26. पुनमचन्द्र पिता जैराम रेगर
27. रूपा पिता नन्दा रेगर
28. केशवलाल पिता केला रेगर

सर्व निवासी पोटलां तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाडा

—विपक्षीगण

क्रमश...02

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:- 15/11/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3211 रकबा 0.41हे0, 6763 रकबा 0.02हे0 8167/3179 रकबा 0.27हे0 कुल किता 03 रकबा 0.70हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 1345 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1 लगायत 17 व 20 लगायत 28 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। वं विपक्षी संख्या 18, 19 के विरुद्ध प्रार्थी अधिवक्ताद्वारा कोई दाद नही चाही गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3211 रकबा 0.41हे0, 6763 रकबा 0.02हे0 8167/3179 रकबा 0.27हे0 कुल किता 03 रकबा 0.70हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पच्चास रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि राशि 450/- (चार सौ पच्चास रूपये मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/11/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला मीलपोड़ा

